न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट-II देवबंद, सहारनपुर।
UPSP100023982018

परिवाद संख्या-2636/2022(402369/2018)

सुखबीरी बनाम जयपाल आदि।

दिनांक-19.06.2026

1- पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिया अनुपस्थित।

2- पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3- पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिया/वादिया सुखबीरी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० दिनांकित 05.10.2005 विपक्षीगण जयपाल आदि के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय में दिनांक 07.10.2005 को पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० को न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 10.10.2005 द्वारा स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष नानौता को मामला पंजीकृत कर विवेचना हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में थाना नानौता पर विपक्षीगण के विरुद्ध मु०अ०सं०-208/2005 अ०धारा 302 भा०दं०सं० दिनांक 02.11.2005 को पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दिनांकित 15.11.2005 जुर्म खारिज करते हुए न्यायालय में प्रेषित की गयी। उक्त अन्तिम रिपोर्ट पर वादिया द्वारा प्रोटेस्ट पैटिशन न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त प्रोटेस्ट पैटिशन न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 06.04.2006 द्वारा निरस्त कर प्रोटेस्ट को परिवाद के रूप में दर्ज कर पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० नियत की गयी। उक्त आदेश दिनांकित 06.04.2006 के विरुद्ध माननीय सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण दाखिल की गयी। उक्त पुनरीक्षण माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 25.07.2006 द्वारा निरस्त कर आदेश दिनांकित 06.04.2006 की पुष्टि की गयी। उक्त के उपरान्त वादिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में Crl. Writ No. 14477 of 2006 दाखिल की गयी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांकित 30.11.2006 द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के आदेश दिनांकित 25.07.2006 व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 06.04.2006 पर स्थगन का आदेश पारित किया गया। उक्त स्थगन आदेश के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार उक्त क्रि०मि०रिट सं० 14477/2006 के संबंध में दिनांक 18.04.2022 को केस निस्तारित होना दर्शित हुआ है। उक्त केस का स्टेटस कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा सत्यापित है, तद्नुसार न्यायालय आदेश दिनांकित 31.01.2024 द्वारा उक्त क्रि०मि०रिट सं० 14477/2006 निस्तारित होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में स्थगन समाप्त किया गया तथा पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया।

4- पत्रावली पर थाने से परिवादिया सुखबीरी की मृत्यु आख्या मय नकल मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त हुई जिसके अनुसार परिवादिया सुखबीरी पत्नी बाबूराम की मृत्यु दिनांक 21.02.2021 में होना अंकित है। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 22.04.2026 द्वारा वादिया के विधिक वारसान को पैरवी हेतु अवसर प्रदान किया गया।

5- पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० नियत चली आ रही है तथा परिवादिया को पर्याप्त अवसर उपस्थिति हेतु प्रदान किया जा चुका है। उक्त परिवाद में परिवादिया लगातार अनुपस्थित चली आ रही है। परिवादिया की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक वारसान भी पैरवी हेतु अनुपस्थित चले आ रहे हैं। पत्रावली पर परिवादिया द्वारा विपक्षीगणों को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय समक्ष उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिससे अभियुक्तगण को तलब किया जा सके। अतः ऐसी स्थिति में परिवाद अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० में खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः परिवादिया का परिवाद उक्त अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(गौरव दीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट-II
देवबंद, सहारनपुर।
UP3741